लखनऊ
बुधवार, 17 मई 2017

7 राज्य • 1 केंद्रशासित प्रदेश • 19 संस्करण : उत्तर प्रदेश | उत्तराखंड | हिमाचल | जम्मू-कश्मीर | दिल्ली | हरियाणा | पंजाब | चंडीगढ़

अमर उजाला

जीएसटी के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क का बनेगा नया भवन

मुख्य आयुक्त ने किया गोमतीनगर में शिलान्यास

लखनऊ (ब्यूरो)। पहली जुलाई से देश भर में लागू हो रहे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सिस्टम को प्रदेश में प्रभावी तरीके संचालित करने के उद्देश्य से केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर से संबंधित विभागों के ट्रेड, इंडस्ट्रीज व जनसुविधा के लिए एक नया भवन बनेगा। गोमती नगर के विभूतिखंड में 9768 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में बनने वाले इस भवन का मंगलवार को शिलान्यास सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क लखनऊ परिक्षेत्र के मुख्य आयुक्त शिव नारायण सिंह ने किया।

मुख्य आयुक्त ने कार्यदायी संस्था केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग के अभियंताओं को तीन साल के तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ निर्माण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि करीब 88.74 करोड़ की लागत से बनने वाले इस भवन के बनने से प्रधान मुख्य आयुक्त (जीएसटी), आयुक्त (अपील आयुक्तालय), आयुक्त (ऑडिट आयुक्तालय), अपर निदेशक (निदेशालय वस्तु एवं सेवाकर सतर्कता), डीआरआई, डीजीओवी, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आरटीआई) और केंद्रीय नॉरकोटिक्स ब्यूरो जैसे प्रमुख कार्यालय एक ही छत के नीचे आ जाएंगे। इस मौके पर आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर वी वाल्ते, आयुक्त सीमा शुल्क एसके शर्मा भी मौजूद थे।